



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक:-एफ.4 (100) प्रा.शि. /एमडीएम//पार्ट IV /2022-23 /90

जयपुर दिनांक:- 01.05.2024

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय-प्रारम्भिक
समस्त।

विषय:- मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु विभाग द्वारा पत्र संख्या 245 दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये थे।

उक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या 6.13 में FIFO नियम की पालना के निम्ननिर्देश हैं:-

6.13 यदि किसी पैकेट में निर्धारित दिन दूध बनाने के पश्चात मिल्क पाउडर शेष रहता है तो उसे तुरन्त सील कर दिया जाये अथवा Air tight डिब्बे में रखा जावे जिससे उसमें नमी न जा पाये। अगले निर्धारित दिवस को सर्वप्रथम इस पैकेट को उपयोग में लिया जाये। एफ.आई.एफ.ओ. (First in first out) सिद्धान्त के अनुसार प्राप्त दूध पाउडर का दूध बनाने हेतु उपयोग में लिया जाना है।

बिन्दु संख्या 10 (IX) में अवधिपार दूध होने की स्थिति में विद्यार्थियों को पीने के लिए नहीं देने के निर्देश हैं:-

ix. दूध अवधि पार होने की स्थिति में विद्यार्थियों को पीने के लिये नहीं दिया जाये।

अतः निर्देशित है कि योजनान्तर्गत जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिले के सभी योजना संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(विश्व मोहन शर्मा)

आयुक्त

क्रमांक:-एफ.4 (100) प्रा.शि. /एमडीएम//पार्ट IV /2022-23 /90

जयपुर दिनांक:- 01.05.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6838171



(सामंस्वरूप मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त

Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2024.05.01 10:54:00 IST
Reason: Approved